

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ.(3) / परिवहन / आरएसबीटीडीए / 2015

जयपुर, दिनांक: 04-06-2018

अधिसूचना

इस कार्यालय के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक दिनांक 15.09.2015 एवं 01.07.2016 द्वारा राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 19) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में निम्न लिखित व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, अर्थात्:-

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. श्री प्रवीण गुप्ता | शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, |
| 2. श्री अखिल अरोड़ा | शासन सचिव, आयोजना विभाग, और |
| 3. श्री एस. के. अग्रवाल | प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग |

एतद् द्वारा उक्त अंशकालिक सदस्यों का पदनाम निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	श्री एस.के. अग्रवाल	अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन,
2	श्री अखिल अरोड़ा	प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, और
3	श्री प्रवीण गुप्ता	शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग

राज्यपाल के आदेश से

(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक: 04-06-2018

सं. एफ.(3) / परिवहन / आर.एस.बी.टी.डी.ए / 2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव (प्रथम/द्वितीय), माननीय मुख्यमंत्री, महोदया राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण, जयपुर।
13. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन विभाग, जयपुर।
14. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी.....(समस्त)।
15. जिला परिवहन अधिकारी(समस्त)।
16. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग, विभागीय वेबसाईट अपडेट करने हेतु।
17. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर, को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी संलग्न कर लेख है कि कृपया इस अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करावें तथा प्रकाशित अंक की एक प्रति इस विभाग को भिजवाएं।
18. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव